No.Ft.48-3980/2019 (FCA),
H.P. Forest Department.

From: Nodal Officer-cum-Addl.Pr.CCF (FCA)
O/o Pr.CCF, HP Shimla-1.

To: The Regional Officer,
Integrated Regional Office,
Govt. of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change,
CGO Complex, Shivalik Khad, Longwood, Shimla,
Himachal Pradesh-171001.

Dated Shimla-1, the 11 MAY 2022

Subject: **Diversion of 0.4476 hectare (instead of 0.5959 ha) in M/s Pharari Power Pvt. Ltd., House No. 99, Ward No. 8, Dhalpur, H.P. for the construction of Pharari SHEP (2.0 MW) within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, Himachal Pradesh(OnlineProposal No. FP/HP/HYD/41259/2019).**

Sir,

Kindly refer to Regional Empowered Committee (REC) meeting held on 22nd December, 2021 at your office wherein various aspect of the proposal were discussed and certain observations were raised to the subject cited proposal.

2. The pointwise reply to the shortcomings as raised vide your above referred communication is submitted as below:

i. In this regard, it is submitted that the subject cited proposal is for diversion of 0.4476 hectare of forest land & the proposal folder for the same area has also been furnished to your office vide this office letter of even number dated 18.11.2021. In online Part-II, the area proposed for diversion i.e. 0.4476 hectare is also correct. Hence, Sr. No. 7 of Part-II needs not to be corrected.

ii. In this regard, it is submitted that NOC issued by Forest Right Committee & Gram Sabha, Hurang, under FRA, 2006 are enclosed herewith for information please. Further, It is, conveyed by the user agency through CCF Kullu that as per Panchayat Raj Department, H.P. letter No. PCH-HA(1)9/06-II-NOC-51441-544 (copy enclosed), NOC of village Panchayats are not required for the projects and settlement etc.

iii. Density of vegetation has been corrected in online Part-II against Para-4.

Yours faithfully,

Encls: As above.

NodalOfficer-cum-Addl.Pr.CCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1.

क्रमांक 75 दिनांक 14—12—2021

कार्यालय एवं न्यायालय ग्राम पंचायत हुरंग

विकास खंड नगर तहसील व जिला कुल्लू हि0प्र0

प्रेषक

सचिव ग्राम पंचायत हुरंग

विकास खंड नगर तहसील व जिला कुल्लू

हि0प्र0

प्रेषित :—निर्देशक एन0गंगाधर राव जी पराड़ी पावर प्राईवेट लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट। ✓

विषयः— Regarding Implementation of judgment rendered by High Court of Himachal Pradesh in case CWP No.2040 of 2019 titled as M/S Pharari Power Private Limited vs state of H.P and others.

महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या 15773—74 दिनांक 09/12/2021 के संदर्भ में निवेदन है कि पराड़ी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड को अनापति बारे वन अधिकार समिति रूंगा—2 की दिनांक 29/11/2021 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपकी सेवा में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू संलग्न है।

पृ0 संख्याः— 76—77 दिनांक 14—12—2021

प्रतिलिपिः— 1 उपायुक्त महोदय कुल्लू जिला कुल्लू की सेवा में प्रस्तुत।

2 उपमंडलाधिकारी कुल्लू की सेवा में प्रस्तुत ।

सचिव

Hemlata

Secretary Gram Panchayat Dev. Block Naggar, Ku

ग्राम पंचायत हुरंग

विकास खंड नगर

तहसील व जिला

कुल्लू हि0प्र0

वन अधिकार समिति रूंगा–2

विकास खंड नगर डाकघर फोजल

तहसील व जिला कुल्लू –175129 हि0प्र0

अध्यक्षता :–:श्री दिले राम समिति प्रधान

प्रस्ताव संख्या:–3

दिनांक:–28/11/2021

उपस्थिति:–7/10

विषय:–Regarding Implementation of judgment rendered by High Court of Himachal Pradesh in case CWP No.2040 of 2019 titled as M/S Pharari Power Private Limited vs state of H.P and others.

आज दिनांक 28/11/2021 को वन अधिकार समिति रूंगा –2 की बैठक समिति प्रधान श्री दिले राम की अध्यक्षता में हुई। जिसमें पराड़ी पावर प्राईवेट लिमिटेड (2.0MW) पराड़ी के संदर्भ में अनापति बारे विभाग/संस्था को पराड़ी पावर प्राईवेट लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट निर्माण हेतू अनापति प्रमाण पत्र देने विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। जिसमें वन अधिकार समिति रूंगा–2 अनापति प्रमाण पत्र देने के लिये तैयार है। जिसमें वन अधिकार समिति रूंगा–2 की निम्न मांगे हैं। जो कि निम्न प्रकार से है।

1 गांव रूंगा के बेरोजगारों को 10 प्रतिशत रोजगार।

2 गांव रूंगा के श्मशानघाट के लिये पक्का रास्ता निर्माण।

3 निर्माण सराय भवन गांव रूंगा।

4 गांव रूंगा के लिये 5 सोलर लाईट।

5 रूंगा श्मशानघाट के आस पास पौधारोपण करना।

6 रा0प्रा0पा0रूंगा का कमरा मुरम्मत करना व स्कूल के चारों ओर बाउडरी बाल देना।

प्रतिलिपि:–1 उपायुक्त महोदय कुल्लू जिला कुल्लू की सेवा में प्रस्तुत।

2 एन0गंगाधर राव जी पराड़ी पावर प्राईवेट लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट की सेवा में सूचनार्थ हेतू प्रस्तुत है।

प्रमाणित किया जाता है कि नक्ल प्रस्ताव असल है।

प्रधान वन अधिकार समिति रूंगा–2 विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) Dile Ram

सचिव वन अधिकार समिति रूंगा–2 विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) Thakur

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा उपमुहाल सभा रुंगा–II
विकास खण्ड नगर जिला कुल्लू (हि0प्र0)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनाक 29/11/2021

गणपूर्ति 29/50

प्रस्ताव संख्या 03

विषय M/S पराड़ी पावर प्रा0 लिमिटेड विभाग/संस्था को विद्युत पॉवर प्रोजेक्ट 2.0 MW के निर्माण हेतु 2/41 फेटिंग UPFH–III जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0.1619 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा उप मुहाल सभा रुंगा–II की बैठक आज दिनाक 29/11/2021 को 11:00 AM बजे स्थान रुंगा में की गई जिसमे M/S पराड़ी पावर प्रा0 लिमिटेड विभाग/संस्था को पराड़ी पॉवर प्राईवेट लिमिटेड के निर्माण हेतु 2/41 फेटिंग UPFH–III जंगल/वन क्षेत्र मे प्रस्तावित 0.1619 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामधारियो ने संबधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन नियासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारो के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारो के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.1619 हैक्टेयर वन भूमि को पराड़ी पावर प्राईवेट लिमिटेड (2.0 MW) निर्माण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा पराड़ी पॉवर प्रोजेक्ट 2.0 MW को सहमति दी जाती है।

स्थान रुंगा
दिनांक 29/11/2021

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Naggar

प्रधान
वन अधिकार समिति
रुंगा–2 विकास खण्ड नग्गर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा...उपमुहाल रूंगा-II

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या......03..........

दिनांक 29/11/2021

वन अधिकार समिति ग्राम सभा उपमुहाल रूंगा-II ....की बैटक आज दिनाक 29/11/2021 को 11:00AM बजे स्थान रूंगा मे श्री / श्रीमति दिले राम की अध्यक्षता मे की गई जिसमे रूंगा-II गाव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत 2/41 प्रोजै० UPFH-III जगल / वन क्षेत्र मे (जिसमे M/s पराशी पार्क प्रा० लिमिटेड विभाग द्वारा पराशी पार्क प्राईवेट लिमिटेड के निर्माण के लिए 0.1619 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गाय वासियो के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारो के प्रस्तावो के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रो का दावा नियमानुसार सही पाया गया –

क०स०	* पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतू ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त मे से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया --

क०स०	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावो को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

........जगल / वन क्षेत्र मे कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान....... रूंगा..........

दिनांक 29/11/2021..........

Secretary
Gram Panchayat Hurang
Distt. Block Haggar

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा 34 मुहाल रूंगा – II
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03

दिनांक 29/11/2021

ग्राम सभा 34 मुहाल रूंगा – II की बैठक आज दिनांक 29/11/2021 को 11:00 AM बजे, स्थान रूंगा में श्री/श्रीमति दिलेराम की अध्यक्षता में की गई जिसमें रूंगा – II गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत 2/41 पोखी UPF-II जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें M/S प्राड़ी पावर प्रा० लिमिटेड विभाग द्वारा प्राड़ी पावर प्राईवेट लिमिटेड के निर्माण के लिए 0.1619 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

क्र0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2			

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त मे से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नही पाया गया–

क्र0स0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार .... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान रूंगा

दिनांक 29/11/2021

Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Naggar, K...

प्रधान
वन अधिकार समिति
...

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होनें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

संख्याःपीसीएच–एचए(1)9/06–II-NOC – 51441– 544

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग।

PO DRDA
ADM
6-9-19

सेवा में,

1. समस्त उपायुक्त,
   हिमाचल प्रदेश।
2. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
   हिमाचल प्रदेश।

शिमला–09 दिनांक 31 अगस्त, 2019.

विशयः– <u>अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने बारे दिशा–निर्देश।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रों दिनांक 7.9.2013, 15.10.2013, 20.3.2014 के द्वारा आपको ग्राम पंचायतों द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, के संदर्भ में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 तथा इसके अन्तर्गत अधिसूचित नियमों में ग्राम पंचायतों द्वारा किसी भी परियोजना, व्यवसाय इत्यादि के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः ग्राम पंचायतों से उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नः उपरोक्त

भवदीय,

(ललित जैन)
निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

51545-77

पृष्ठांकन संख्याः– पीसीएच–एचए(1)9/06–II-NOC शिमला–09 दिनांक 31 अगस्त, 2019.

प्रतिलिपियां

1. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग हि0 प्र0, सूचना एवं प्रौद्योगिकी भवन मैहली शिमला–1710013 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. निदेशक उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश, उद्योग भवन, शिमला को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।